सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन 12, बुधवार, *शाके* 1945-अक्टूबर 04, 2023 *Asvina 12, Wednesday , Saka 1945- October 04, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 29, 2023

संख्या प.6(26)कृषि/ग्रुप-2/2003 :-जैसा कि राजस्थान सरकार कृषि (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961(1961का राजस्थान अधिनियम संख्या 38) के तहत अधिसूचना दिनांक 03.05.1965 के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति भीलवाड़ा की स्थापना की गई थी।

अब कृषि उपज मण्डी समिति भीलवाड़ा के मण्डी क्षैत्र के ग्राम बागौर (माण्डल) में गौण मण्डी घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः राज्य सरकार राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 5 की उपधारा 2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्राम श्योसिंहपुरा के राजस्व ग्राम बागौर (माण्डल) मे गौण मण्डी यार्ड स्थापित करने की घोषणा करती जिसकी सीमाएं निम्न प्रकार से होगीः-

पूर्व में	-	खसरा नं. 8 गै. मु. रास्ता
पश्चिम में	-	मदनपुर सीमा
उत्तर में	-	खारोलिया खेड़ा ग्राम की सीमा
एवं दक्षिण में	-	खसरा नं. 7 चारागाह

गौण मण्डी यार्ड बागौर (माण्डल) की उक्त सीमाओं के अन्दर निर्मित भवन, दुकानें एवं भू-भाग आदि सम्मिलित होंगे

राज्यपाल की आज्ञा से,

कुन्तल विश्नोई,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।